

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Add. Near Chambal Rest House, Kishorpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdp.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2024-25/ 6675

दिनांक: 21.11.2024

निमित्त:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
(एफसीए), राजस्थान, जयपुर।

विषय:- रामगढ माता जी परिक्रमा मार्ग सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में
Proposal no.FP/RJ/ROAD/34310/2022 (9.0600ha)

संदर्भ:- उप वन संरक्षक, बारां का पत्रांक 8808 दिनांक 14.11.2024 एवं EDS reply of
Minutes of the Twenty Seventh (27th) meeting of the project committee (PSC)
held on 30th April 2024 (Tuesday) at Aranya Bhawan Jaipur. के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है दिनांक 30.04.2024 की बैठक में दिये गये निर्देशो अनुसार E.D.S
तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

S. No.	Order	Reply
1	Working plan prescription has not been submitted correctly.	Working plan prescription has been submitted correctly.
2	Ramgarh Crater has been declared as World Ge0-Heritage Site but DCF has given no any information in point no.9 of part - II and in the Site Inspection Report of the DCF. NOC from the competent authority is also required. A clarification may be also sought from Department of Environment, Government of Rajasthan regarding whether this activity is allowed or not allowed as per guidelines? CCF will also give the comments for recommendation of this road in this point of view after examination of allowed activities in World Geo-Heritage Site guidelines.	Part -II , point no 9 the information has been updated.The Proposed road run along the edge of the geologicalcrater. The Proposed road is not expected to have any adverse impact on the geological site. The NOC from archeology department has been attached.
3	Non-forest Land (NFL) has been given in 6 patches, which is not acceptable. As per FCA Guidelines 2023, NFL Should be given more than 5 ha in a single patch. District Collector had allotted 32 19 ha. NFL for 7 road proposals. UA should clearly mark individual proposal wise land on DGPS map.	The 32.19 Hact. Land has allotted by the District Collector for 7 nos. proposals. The DGPS map of individual road is attached.
4	Estimate of CA is not clear and CA scheme in prescribed format has not been submitted.	Updated CA scheme is again submitted

5	The proposed forest area falls inside the Ramgarh Conservation Reserve. Therefore, comments from CWLW are also required.	The DCF Baran vide this office letter No 7119 dated 23-07-2024 has requested for the comments of CWLW.
6	As per the reply of UA, total 4,733 trees are falling inside the RoW of the road but only 157 trees have been marked in online part II.	Only 157 trees is falling in ROW. Copy attached.

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


भवदीय,

 (रामकरण खैरवा)
 संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

दिनांक 21.11.2024

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / समुवसं / 2024-25 / 6676-77

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राज 0 जयपुर।
- 2 उप वन संरक्षक, बारां


 संभागीय मुख्य वन संरक्षक
 कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारा

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2024-25/ 8808

दिनांक 14-11-24

निमित्त:-

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :-रामगढ माता जी परिक्रमा मार्ग सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में
Proposal no.FP/RJ/ROAD/34310/2022 (9.0600ha)


संदर्भ:-EDS reply of Minutes of the Twenty Seventh (27th) meeting of the project committee
(PSC) held on 30th April 2024 (Tuesday) at Aranya Bhawan Jaipur.के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है दिनांक 30.04.2024 की बैठक में दिये गये निर्देशों अनुसार
E.D.S तैयार कर संलग्न प्रेषित है।

S. No.	Order	Reply
1	Working plan prescription has not been submitted correctly.	Working plan prescription has been submitted correctly.
2	Ramgarh Crater has been declared as World Geo-Heritage Site but DCF has given no any information in point no. 9 of part - II and in the Site Inspection Report of the DCF. NOC from the competent authority is also required. A clarification may be also sought from Department of Environment, Government of Rajasthan regarding whether this activity is allowed or not allowed as per guidelines? CCF will also give the comments for recommendation of this road in this point of view after examination of allowed activities in World Geo-Heritage Site guidelines.	Part -II , point no 9 the information has been updated.The Proposed road run along the edge of the geologicalcrater. The Proposed road is not expected to have any adverse impact on the geological site. The NOC from archeology department has been attached.
3	Non-forest Land (NFL) has been given in 6 patches, which is not acceptable. As per FCA Guidelines 2023, NFL Should be given more than 5 ha in a single patch. District Collector had allotted 32 19 ha. NFL for 7 road proposals. UA should clearly mark individual proposal wise land on DGPS map.	The 32.19 Hact. Land has allotted by the District Collector for 7 nos. proposals. The DGPS map of individual road is attached.
4	Estimate of CA is not clear and CA scheme in prescribed format has not been submitted.	Updated CA scheme is again submitted
5	The proposed forest area falls inside the Ramgarh Conservation Reserve. Therefore, comments from CWLW are also required.	The DCF Baran vide this office letter No 7119 dated 23-07-2024 has requested for the comments of CWLW.

6	As per the reply of UA, total 4,733 trees are falling inside the RoW of the road but only 157 trees have been marked in online part II.	Only 157 trees is falling in ROW. Copy attached.
---	---	--



(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक

बारां
दिनांक 14-11-24

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 20224 -25 / 8809-11

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज 0 जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज 0 जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PWD DIVISION SHAHABAD

No : 1033

Date: 13.11.2024

The District Conservator of Forest
Baran.

Subject :- Construction and widening of ramgarh mataji parkrama road (9.06 Hect).

Proposal No. :- FP/RJ/ROAD/34310/2018


Ref.:- EDS reply of DCF Objection on dated 20.09.2024

Sir,

With reference to above cited subject, & referred letter the compliance is as follows.

S. No.	Order	Reply
2	Ramgarh Crater has been declared as World Geo-Heritage Site but DCF has given no any information in point no. 9 of part - II and in the Site Inspection Report of the DCF. NOC from the competent authority is also required. A clarification may be also sought from Department of Environment, Government of Rajasthan regarding whether this activity is allowed or not allowed as per guidelines? CCF will also give the comments for recommendation of this road in this point of view after examination of allowed activities in World Geo-Heritage Site guidelines.	It is related to The Forest Department & The NOC from archeology department has been attached. other information is to be provided by the DCF Baran & CCF Kota.
3	Non-forest Land (NFL) has been given in 6 patches, which is not acceptable. As per FCA Guidelines 2023, NFL Should be given more than 5 ha in a single patch. District Collector had allotted 32 19 ha. NFL for 7 road proposals. UA should clearly mark individual proposal wise land on DGPS map.	The 32.19 Hact. Land has allotted by The District Collector for 7 nos. proposals. The DGPS map of individual this road is attached and for this proposal CA Land is in single part
4	Estimate of CA is not clear and CA scheme in prescribed format has not been submitted.	It is related to the DCF Baran.
6	As per the reply of UA, total 4,733 trees are falling inside the RoW of the road but only 157 trees have been marked in online part II.	Only 157 trees is falling in ROW. The counting of trees done in presence of forest department & User Agency employee copy enclosed

It is requested to sanction the proposal Please .


(Hari Prasad Meena)
Executive Engineer
PWD Division Shahabad

हरि प्रसाद मीना
अधिकाारी अभियन्ता
सा.मं.वि. शाहबाद-शहाबाद

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशालय, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, राजस्थान जयपुर
(Phone: 0141-2820360, E-mail: dirarch-jp@nic.in)

क्रमांक:- पु.स./तक./स्मा./कोटा वृत्त/2023/ 4427

दिनांक:- 13/4/2023

अधिशायी अभियंता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड,
शाहबाद, जिला बारां।


विषय:- रामगढ़ माता जी परिक्रमा के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक 1388 दिनांक 20.02.2023 एवं अधीक्षक, कोटा वृत्त का पत्रांक 214 दिनांक 05.04.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगोक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा रामगढ़ क्रेटर क्षेत्र में रामगढ़ माताजी के परिक्रमा मार्ग के निर्माण के संबंध में अनापत्ति (NOC) चाही गई है।

इस संबंध में लेख है कि रामगढ़ क्रेटर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किये जाने की कोई सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। उक्त मार्ग में विभाग के संरक्षित स्मारक शिव मंदिर, भण्डदेवरा और उसके परिसर में दो अन्य मंदिर पुरातत्व महत्व के है। इसके अतिरिक्त इसके पश्चिम दिशा में तालाब के आस-पास कुछ मंदिरों के संरचनात्मक अवशेष मौजूद है। अतः उक्त परिक्रमा मार्ग का निर्माण कार्य अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, कोटा वृत्त, कोटा से प्राप्त टिप्पणी अनुसार करवाया जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(डॉ. महेंद्र खड़गावत)
निदेशक

दिनांक:-

क्रमांक:- पु.स./तक./स्मा./कोटा वृत्त/2023/

प्रतिलिपि अधीक्षक, कोटा वृत्त, कोटा को इस निर्देश के साथ की वे उक्त परिक्रमा मार्ग के कार्यों को अपने निर्देशन में करवायेंगे तथा समय-समय पर उक्त कार्यों का निरीक्षण कर निदेशालय को मय छायाचित्र सूचित करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दिया जावे कि विभागीय संरक्षित स्मारकों को सिविल कार्यों से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।

राजस्थान सरकार
कार्यालय : अधीक्षक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, कोटा वृत्त, कोटा
Phone 0744-2328443, E-mail supam kota@gmail.com

क्रमांक : प.()अ.पु.सं.को. / 2023 / 214

दिनांक : 5 अप्रैल, 2023

निदेशक,


पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय : रामगढ़ माता जी परिक्रमा के निर्माण के संबंध में।

संदर्भ : निदेशालय पत्रांक पु.सं./तक./स्मा./कोटावृत्त/2023/3217 दिनांक 08.03.2023
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि बारों जिले में स्थित रामगढ़ क्रेटर को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किये जाने की सूचना इस कार्यालय को प्राप्त नहीं है। विभाग का संरक्षित स्मारक शिव मंदिर, भण्डदेवरा और उसके परिसर में दो अन्य मंदिर पुरातत्व महत्व के हैं। इसके अतिरिक्त इसके पश्चिम दिशा में तालाब के आस-पास कुछ मंदिरों के संरचनात्मक अवशेष मौजूद हैं। इसको छोड़कर रामगढ़ माता की परिक्रमा मार्ग का निर्माण किये जाने पर इन पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। साथ ही संबंधित विभाग द्वारा परिक्रमा का मार्ग निर्धारण किया जाना भी अपेक्षित है।

उक्त संबंध में अधोहस्ताक्षकर्ता द्वारा दिनांक 26.03.2023 को रामगढ़ क्षेत्र के स्थलों का निरीक्षण किया गया था। इसमें स्थानीय व्यक्तियों द्वारा परिक्रमा मार्ग बताया गया, जिसके अनुसार भेरुजी दूड वाले, शनि महाराज मंदिर, तलाई के हनुमानजी मंदिर, राड़ी के भेरुजी मंदिर, छोटी व बड़ी जाग समाधि स्थल (नागा बाबा की), महादेव धाटी, ठाकुर बाबा, बडवासन माताजी, कलम की तलाई, ब्रम्हपुरी माता जी आदि धार्मिक महत्व की संरचनाएँ विद्यमान हैं।

भवदीय

वृत्त अधीक्षक, कोटा

No. G43R3



Scale 1:50,000
North Arrow
Legend
Proposed Alternative Land



Scale 1:50,000
North Arrow
Legend
Proposed Alternative Land

Scale 1:50,000
North Arrow
Legend
Proposed Alternative Land

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक-एफ-4(5) (राजस्व/2023/

दिनांक

2023

:- आदेश :-

अधिसापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहवाद द्वारा खण्ड शाहवाद में माताजी से नयागांव बाया महेशपुर 2 टिक्यानी से गट्टर-ईसादोरी 3 माजम से युवाय 4 कोटा-47 पर सुदृढिकरण एवं चौड़ाईकरण 5 शाहवाद से राजपुर 6 गंवगण्ड गट्टरगट्ट चौकी कार्य कि०मी० 0/00 से 6/250) सहको के निर्माण हेतु वन विभाग की कुल 32.19 हे० भूमि होने के कारण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन भूमि आवंटन की मांग करने पर तहसीलदार शाहवाद द्वारा पटवार मण्डल संगलीफाटक, ग्राम-सानीपुरा के आराजी खन 79 रकबा 18.00 बीघा खसरा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, खन 16 रकबा 16.15 बीघा, खन 244 रकबा 12.19 बीघा, खन 187 रकबा 12.05 मे से 12.00 बीघा खन 232 रकबा 42.05 बीघा, खन 287 रकबा 27.09 बीघा, खन 33 रकबा 4.10 बीघा मे से 3.09 बीघा, खन 188 रकबा 21.10 बीघा किरम गै० गु० एवं खन 201 रकबा 25.14 बीघा किरम गै० गु० पहाडी कुल कित्ता 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात् 32.19 हे० भूमि प्रस्तावित करने पर उपखण्ड अधिकारी, शाहवाद द्वारा उक्त भूमि वन विभाग को आवंटन किये जाने की अनुशंसा की है। जिस पर वन विभाग से उप वन संरक्षक, बारां द्वारा सहमति प्रदान की है।

शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 5(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा उक्त प्रयोजनार्थ प्रस्तावित 32.19 हे० राजकीय स्थायिक भूमि को राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन/हरतांतरण किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 5(262)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के क्रम में राजस्थान गू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा की धारा 102 के तहत एवं अधिसापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहवाद की मांग, उप वन संरक्षक, बारां की सहमति तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, शाहवाद की अनुशंसा के आधार पर पटवार मण्डल संगलीफाटक, ग्राम-सानीपुरा के आराजी खन. 79 रकबा 18.00 बीघा, खसरा नं. 81 रकबा 21.03 बीघा, खन 16 रकबा 16.15 बीघा, खन 244 रकबा 12.19 बीघा, खन. 187 रकबा 12.05 मे से 12.00 बीघा खन 232 रकबा 42.05 बीघा, खन 287 रकबा 27.09 बीघा, ख.न. 33 रकबा 4.10 बीघा मे से 3.09 बीघा, ख.न. 188 रकबा 21.10 बीघा किरम गै० गु० एवं ख.न. 201 रकबा 25.14 बीघा किरम गै० गु० पहाडी कुल कित्ता 9 कुल रकबा 201.04 बीघा अर्थात् 32.19 हे० भूमि को वन विभाग के नाम निशुल्क आवंटन/हरतान्तरण किया जाता है।

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद किया जावे।

Sd
(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

दिनांक 26.01.2023

क्रमांक-एफ-4(5) (राजस्व/2023/ 401 - 09

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. संगामीय आयुक्त महोदय, कोटा संगम, कोटा।
3. उप वन संरक्षक, बारां।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बारां।
5. अधिसापी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड शाहवाद।
6. उपखण्ड अधिकारी, शाहवाद।
7. तहसीलदार, शाहवाद।
8. तहसीलदार, शाहवाद को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश में अंकित भूमि की जानकारी को दखल दिया जाकर दखलनामे की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आवंटन भूमि का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
9. रक्षित पत्रावली।

अधिसापी अभियन्ता
शाहवाद खण्ड शाहवाद
हरि प्रसाद मोना

अभियन्ता अभियन्ता
भूमि अधिकारी शाहवाद

अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बारां

(दीपक कुमार गुप्ता)
जिला कलक्टर,
बारां

CA SCHEME- NFL (LABOUR RATE: 259/- Rupees)

Proposal No. : FP/RJ/Road/34310/2023

Sr. No.	Details of Work	Rate Per Hectare	NON Forest Land (NFL) Area (In Ha)	Amount (In Rupees)
1	0 Years (Advance Action)	282086	9.06	2555699
2	1st Year (Planting Year)	149444	9.06	1353963
3	2nd Year Maintenance (Year-2)	68683	9.06	622268
4	2nd Year Maintenance (Year-3)	37033	9.06	335519
5	Subsequent Maintenance (Year-4)	25092	9.06	227334
6	Subsequent Maintenance (Year-5)	26051	9.06	236022
7	Subsequent Maintenance (Year-6)	27010	9.06	244711
8	Subsequent Maintenance (Year-7)	27010	9.06	244711
9	Subsequent Maintenance (Year-8)	27010	9.06	244711
10	Subsequent Maintenance (Year-9)	27010	9.06	244711
11	Subsequent Maintenance (Year-10)	27010	9.06	244711
12	Subsequent Maintenance (Year-11)	27010	9.06	244711
13	Subsequent Maintenance (Year-12)	27010	9.06	244711
	Amount for CA (As per Approved Model) per Ha		Round off Amount as per CA Model (NFL)/-	7043779


उप वन संरक्षक
बरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.सं./2023-24/7119

दिनांक 23-7-2024

निमित्त:

समागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।


विषय - रामगढ माता जी परिक्रमा मार्ग राडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के संबंध में
Proposal no.FP/RJ/ROAD/34310/2022 (9.0600ha)

संदर्भ: EDS reply of Minutes of the Twenty Seventh (27th) meeting of the project committee (PSC)
held on 30th April 2024 (Tuesday) at Aranya Bhawan Jaipur के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में निवेदन है कि रामगढ माता जी परिक्रमा मार्ग राडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन में आने वाली वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृति चाही गई है। उक्त राडक वन खण्ड रामगढ में से होकर गुजरेगी जो रामगढ संरक्षण आरक्षिती का भाग है जिसकी अधिसूचना क्रमांक ए.एफ.न.4(12) वन/2017 जयपुर दिनांक 28.10.2021 है। उक्त प्रकरण में अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राज0 जयपुर के पत्र क्रमांक 7304 दिनांक 23.08.2023 को जारी की गई EDS कि विन्दु संख्या- 9 (The Proposal is falling inside the conservation reserve .please atatched copy of approval of chief wild life warden.) में श्रीमान मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक कि टिप्पणी चाही गई है।


अतः प्रस्ताव की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि प्रस्ताव को मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर को भिजवाने का श्रम करे।
संलग्न प्रस्ताव की प्रति- 1


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.सं./20223 -24/7120-21 दिनांक 23-07-2024

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अति:प्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राज0 जयपुर।
3. अधिशापी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहवादा।


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक
बारां

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

प्रस्ताव का नाम :- रामगढ माता जी परिक्रमा मार्ग में आने वाले पेड़ों की गणना

क्रम संख्या	प्रजाति	0-30 से.मी.	31-60 से. मी.	61-90 से. मी.	91-120 से.मी.	120-150 से.मी.	>150से.मी.	योग
1	नीम	1	0	0	0	0	0	1
2	छौला	34	50	18	7	2	1	112
3	बबूल	0	0	0	0	0	0	0
4	खैजडा	2	1	0	0	0	0	3
5	घौकडा	22	11	5	1	0	0	39
6	खेजडी	0	0	0	0	0	0	0
7	बैर	2	0	0	0	0	0	2
कुल योग		61	62	23	8	2	1	157


(अनिल यादव)
उप वन संरक्षक,
बारां